

No. 288/RR/ SRO-SCHOOL/PER/NI
Date: 08 -04-2018

To

## The Sr. General Manager / General Manager

All Ordnance \& Ordnance Equipment Factories
Sub : Framing of SRO in respect of Trained Graduate Teacher, Head Master (Primary), Teacher (Primary) and Laboratory Assistant in the School establishment of Teacher in Ordnance Factories Organisation.

Please find enclosed herewith a copy of Gazette Notification vide notifying publication of S.R.O $98 \&$ SRO 99 dated $6^{\text {th }}$ December, 2017 for the post of Trained Graduate Teacher, Head Master (Primary), Teacher (Primary) and Lab Assistant in supersession of earlier SRO related to the above posts for favour of necessary action.

Kindly acknowledge receipt.
Encl.- S.R.O 98 \& 99 dated 06.12.2017


For Director General, Ordnance Factories
Copy to :-
1.Chairman 's Sectt., OFB Kolkata.
2.All Members, OFB Kolkata.
3.The Addl. DGOF/AV HQrs, Avadi.
4.The Addl. DGOF/OEF HQrs, Kanpur.
5.Sr. Principal Director, NADP, Ambajhari.
6.Principal Director/OFILs, RCSs, RMCs \& OFRC.
7.Principal Controller of Accounts (Fys), Kolkata.
8.Section : Per/NG, Per/G, Per/Policy and Per/IR.
9. All Staff side Members of JCM-III level.
10. Instruction File.

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2017
का.नि.आ. 98.-राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय आर्डिनेंस कारखाना संगठन(स्कूल स्थापना के समूह "ख",समूह "ग" पद) भर्ती संशोधन नियम 2006 को, जहां तक उसका संबंध अनुसूची में विनिर्दिष्ट समूह "ख" और समूह "ग" पदों से हैं, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय में आर्डिनेंस कारखाना संगठन की स्कूल स्थापना में समूह "ख" पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षित्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का नाम भारतीय आयुध कारखाना संगठन(स्कूल स्थापना के समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 2017 है।
(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. लागू होनाः- ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध सूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों के साथ उपाबद्ध सूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं आदि:- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
5. अनर्हता:- वह व्यक्ति
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
(ख) जिसने अपनी पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार के लिए लागू वैयक्तिक कानून के अधीन अनुजेय है एवं ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।
6. शियिल करने की शक्ति .- जहां केन्द्रीय सरकार की राय होगी कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह इसके कारणों को लेखबद्ध करते हुए और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी भी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों के लिए आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
7. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु सीमा में छूट और ऐसी अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डाल पाएगी जिनका उपबंध केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेश के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए किया जाना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन पद अथवा अचयन पद |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. प्रशिक्षित स्रातक अध्यापक, शारीरिक शिक्षा अध्यापक, घरेलू गृह विज्ञान, कार्य शिक्षा अध्यापक, ड्राइंग कला शिल्प अनुदेशक (हाई स्कूल) | $343 \text { * }$ <br> (2017) <br> * कार्य के आधार पर परिवर्तनाधीन | सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अलिपिकीय | 44900-142400/- रु. <br> के वेतन में स्तर-7 | चयन पद |


| सीधी भर्तियों के लिए आयु सीमा | सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताएं | क्या इन प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में सीधी भर्तियों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षणिक योग्ताएं लागू होंगी | परीवीक्षाधीन अवधि, यदि कोई है, |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| (6) | (7) | (8) | (9) |
| तीस वर्ष से अधिक नहीं। नोट: 1 <br> (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसरण में सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष की छूट) <br> नोट: 2 <br> भारत में उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख से होगी (और असम, मेधालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू तथा कश्मीर राज्य के लद्दाख डिविजन तथा हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पिति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी उप-बंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या लक्ष्यद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। | प्रशिक्षित स्रातक अध्यापकों के पद के लिए :- <br> आवश्यक योग्यता : <br> (क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अपेक्षित विषय (विषयों) में स्रातक और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राथमिक शिक्षा (चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता है) में अथवा एनसीटीई (मान्यता प्राप्त मानदंड और प्रक्रिया) द्वारा इस सबंध में समयसमय पर जारी किए गए विनियमों के अनुसरण में राट्र्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से दो वर्ष का डिप्लोमा <br> अथवा <br> कम से कम $45 \%$ अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अपेक्षित विषय (विषयों) में स्रातक और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अथवा एनसीटीई (मान्यता प्राप्त मानदंड और प्रक्रिया) द्वारा इस बारे में समय-समय पर जारी किए गए विनियमों के अनुसरण में राप्र्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से एक वर्ष का शिक्षा स्रातक (बी.एड) होना चाहिए। <br> अथवा <br> कम से कम $50 \%$ अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से अपेक्षित विषय (विषयों) में वरिष्ठ माध्यमिक (अथवा इसके समतुल्य) होना चाहिए और एनसीटीई (मान्यता प्राप्त मानदंड और प्रक्रिया) द्वारा इस बारे में समय-समय पर जारी किए गए विनियमों के अनुसरण में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से चार वर्ष का प्राथमिक शिक्षा में स्रातक (बी.एल.एड.) होना चाहिए। अथवा <br> कम से कम $50 \%$ अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से अपेक्षित विषय (विषयों) में वरिष्ट माध्यमिक (अथवा इसके समतुल्य) होना | आयु: नहीं अर्हता: हां | सीधी भर्ती और समूह 'ग' से प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष |




|  | घरेलू या गृह विज्ञान या कार्य शिक्षा अध्यापक ड्राईंग <br> या कला और क्राफ्ट अनुदेशक (हाई स्कूल) के पद के <br> लिए :- <br> आवश्यक :- <br> (1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अपेक्षित विषय में <br> स्रातक या डिग्री। <br> (2) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से <br> डिग्री या स्रातकोत्तर डिग्री या शिक्षा या अध्यापन में <br> डिप्लोमा। <br> वांघनीय :- <br> (1) संबंधित विषय में कक्षा छठी से दसवीं तक <br> मान्यता प्राप्त स्कूल से नियमित आधार पर पूर्णकालिक <br> कम से कम दो वर्ष का अपेक्षित अर्हता (अर्हता पश्च) के <br> बाद अध्यापन अनुभव । <br> (2) हिंदी अथवा अंग्रेजी दोनों में अध्यापन में <br> प्रवीणता और विद्यालय में अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी <br> हो। <br> टिप्पणी: सुयोग्य योग्यता वाले अभ्यर्थियों के मामले <br> में सक्ष्म प्राधिकारी के विकेकाधीन से योग्यता में छूट दी <br> जा सकती है, जिसके लिए कारणों को लिखित में दर्ज <br> कराना होगा। |  |
| :--- | :--- | :--- |


| भर्ती का तरीका चाहे सीधी भर्ती अथवा प्रोत्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन से हो और रिक्तियों का प्रतिशत विभिन्न तरीकों से भरा जाना है | प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती मामले में, किस ग्रेड से प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाना है |
| :---: | :---: |
| (10) | (11) |
| (i) शारीरिक शिक्षा अध्यापकों को छोड़कर सभी पदों के लिए 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा <br> (ii) शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के पद को शत-प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा भरा जाएगा। | प्रोन्नति: <br> (क) कॉलम 7 में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता रखने वाले वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 में अध्यापक(प्राथमिक) अथवा संगीत अध्यापक अथवा ड्राइंग अध्यापक या कला और शिल्प अध्यापक और प्रशिक्षित स्रातक अध्यापक(टीजीटी) या घरेलू अथवा गृह विज्ञान अथवा कार्य शिक्षा अध्यापक अथवा ड्राइंग या कला एवं शिल्प अनुदेशक (उच्च विद्यालय) के पद पर प्रोत्नति के लिए न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा। <br> (ख) कॉलम 7 सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता वाले वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 में प्रयोगशाला सहायक और प्रशिक्षित स्रातक अध्यापक (टीजीटी) के पद पर प्रोन्नति के लिए न्यूनतम पंद्रह वर्ष की नियमित सेवा। <br> (ग) कॉलम 7 में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता वाले वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 में योग अथवा क्रीड़ा अध्यापक से शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पद पर प्रोन्नति के लिए न्यूनतम पांच वर्ष की नियमित सेवा। |


|  | टिप्पणी 1: प्रोन्नति के लिए योग्यता सूची संबंधित ग्रेड अथवा पद में निर्धारित योग्यता सेवा <br> के अफसरों द्वारा पूरा करने की नीति संबंधित ग्रेड अथवा पद में अन्तर वरिष्ठता को कायम <br> रखते हुए तैयार की जाएगी । <br> टिप्पणी 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी <br> कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में <br> भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता <br> सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम <br> हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिप्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता <br> सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की <br> अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। |
| :--- | :--- |


| यदि कोई विभागीय प्रोत्नति समिति है, तो उसकी संरचना |  | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
| :---: | :---: | :---: |
| (12) |  | (13) |
| समूह 'ख' विभागीय प्रोत्नति समिति: <br> 1. उप महानिदेशक, आयुध कारखाना बोर्ड <br> 2. निदेशक/संयुक्त निदेशक, आयुध कारखाना बोर्ड <br> 3. निदेशक/संयुक्त निदेशक, आयुध कारखाना बोर्ड समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समितिः <br> 1. उप महानिदेशक, आयुध कारखाना बोर्ड <br> 2. निदेशक/संयुक्त निदेशक, आयुध कारखाना बोर्ड <br> 3. निदेशक/संयुक्त निदेशक, आयुध कारखाना बोर्ड | - अध्यक्ष <br> - सदस्य <br> -सदस्य <br> - अध्यक्ष <br> - सदस्य <br> -सदस्य | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है। |


| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2. प्रधानाध्यापक <br> (प्राथमिक), | $17^{*}(2017)$ साधारण केंद्रीय सेवा <br> *कार्यभार के आधार पर  <br> परिवर्तन किया जा  <br> सकता है।  | वेतन-मैट्रिक्स 'ख' अराजपत्रित <br> अनुसचिवीय <br> $44900-142400 /-~$ | चयन <br> में स्तर-7 |  |


| (6) | (7) | (8) | (9) |
| :---: | :---: | :---: | :--- |
| लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | अध्यापक (प्राथमिक)/संगीत <br> अध्यापक /ड्राइंग /कला एवं <br>  |
|  |  | शिल्प अध्यापक/योग और कीड़ा <br> अध्यापक के लिए कुछ नहीं। <br> प्रयोगशाला सहायक के लिए दो <br> वर्ष |  |


| (10) | (11) |
| :---: | :---: |
| प्रोत्नति द्वारा: | प्रोन्नति: <br> (क) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 में अध्यापक (प्राथमिक) अथवा संगीत अथवा ड्राइंग अथवा कला एवं शिल्प अध्यापक अथवा योग अथवा क्रीड़ा अध्यापक जो स्रातक और बैचलर ऑफ एजुकेशन अथवा 4 वर्षीय एकीकृत बीएससी, बीएड/बीए, बीएड की शैक्षणिक योग्यता रखते हो और न्यूनतम पांच वर्षों की नियमित सेवा की हो। <br> (ख) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 में प्रयोगशाला सहायक जो स्रातक और बैचलर ऑफ एजुकेशन अथवा 4 वर्षीय एकीकृत बीएससी, बीएड/बीए, बीएड की शैक्षणिक योग्यता रखते हों और न्यूनतम 15 वर्ष की नियमित सेवा की हो। <br> टिप्पणी 1: प्रोन्नति के लिए योग्यता सूची संबंधित ग्रेड अथवा पद में निर्धारित योग्यता सेवा के अफसरों द्वारा पूरा करने की नीति संबंधित ग्रेड अथवा पद में अन्तर वरिप्ठता को कायम रखते हुए तैयार की जाएगी। <br> टिप्पणी 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। |


| (12) |  | (13) |
| :---: | :---: | :---: |
| समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति: |  | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है। |
| 1. उप महानिदेशक, आयुध कारखाना बोर्ड | - अध्यक्ष |  |
| 2. निदेशक/संयुक्त निदेशक, आयुध कारखाना बोर्ड | - सदस्य |  |
| 3. निदेशक/संयुक्त निदेशक, आयुध कारखाना बोर्ड | -सदस्य |  |
| समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समितिः |  |  |
| 1. उप महानिदेशक, आयुध्र कारखाना बोर्ड | - अध्यक्ष |  |
| 2. निदेशक/संयुक्त निदेशक, आयुध कारखाना बोर्ड | - सदस्य |  |
| 3. निदेशक/संयुक्त निदेशक, आयुध कारखाना बोर्ड | -सदस्य |  |


| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :---: |
| 3. अध्यापक (प्राथमिक) <br> अथवा संगीत अध्यापक अथवा <br> ड्राइंग अध्यापक अथवा कला <br> और शिल्प अध्यापक अथवा <br> योग अथवा क्रीड़ा अध्यापक | *कार्यभार के आधार पर <br> परिवर्तन किया जा सकता <br> है। | साधारण केंद्रीय सेवा <br> समूह 'ख' अराजपत्रित <br> अनुसचिवीय | वेतन-मैट्रिक्स $35400-$ <br> $112400 /-$ वेतन स्तर-6 | लागू नहीं |


| (6) | (7) | (8) | (9) |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| तीस वर्ष से अधिक नहीं। <br> टिप्पणी 1: केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुरूप सरकारी सेवकों को पांच वर्ष की छूट। <br> टिप्पणी 2: आयु-सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि भारत के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि होगी (न कि जो तिथि असम, मेघालय, अरुणांचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर का लद्दाख क्षेत्र, लाहौल और स्पिति जिला और पणजी हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले का सब-डिवीजन अंडमान और निकोबार- द्वीपसमूह या लक्षद्वीप द्वारा निर्धारित तिथि। | अध्यापक (प्राथमिक) के पद के लिए:- <br> अनिवार्य: <br> (i) न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा(चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो) <br> अथवा न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा समकक्ष) और प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा(चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो) जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यताप्राप्त मानक और प्रक्रिया), विनिमय, 2002 के अनुरूप हो। <br> अथवा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक(अथवा समकक्ष) और प्रारंभिक शिक्षा का चार वर्षीय बैचलर (बी.एल.एड.) <br> अथवा स्रातक और प्रारंभिक शिक्षा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो) में दो वर्षीय डिप्लोमा <br> टिप्पणी 1: किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से वरिष्ठ माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) और किसी मान्यताप्राप्त विश्व विद्यालय से स्नातक। <br> टिप्पणी 2: राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद् (एनसीटीई) द्वारा मान्यताप्राप्त शिक्षक शिक्षण में डिप्लोमा अथवा डिग्री पाठ्यक्रम पर ही विचार किया जाएगा। <br> टिप्पणी 3: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विकलांग अभ्यर्थियों को अर्हक अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। और <br> (2) इस प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा तैयार दिशा निर्देशों के अनुरूप संगत सरकार द्वारा संचालित की जाने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण हो। <br> वांछनीयः <br> अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में अध्यापन में प्रवीणता और विद्यालय में अध्यापन का माध्यम । <br> क्रीड़ा अध्यापक के पद हेतु:- <br> आवश्यक: <br> (क) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक (कक्षा 12 या इसके समतुल्य) शिक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक। <br> ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उच्चतर माध्यमिक परीक्षा(10+2) या इसके | लागू नहीं | दो वर्ष |


|  | समतुल्य पास हों और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा <br> 10.12.2007 को अधिसूचित (मान्यताप्राप्त मानक तथा प्रक्रिया) विनियम, 2007 के अनुरूप विद्यालय/ कॉलेज/जिला स्तर पर खेलकूद में भाग लिए हों। <br> या <br> किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा (कक्षा 12 या इसके समतुल्य) जो राट्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुसार (मान्यता हेतु आवेदन प्रपत्र, आवेदन करने की समय-सीमा , अध्यापक कार्यक्रमों की मान्यता के लिए प्रतिमानकों एवं मानकों का निर्धररण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण आरंभ करने की अनुमति) दिनांक 13 नवंबर, 2002 को अधिसूचित विनियम, 2002 । <br> और <br> (ख) किसी मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् संस्थान द्वारा कम से कम 2 वर्ष (या इसके समतुल्य ) शारीरिक शिक्षा में प्रमाण पत्र/डिप्लोमा । <br> संगीत अध्यापक या ड्राइंग अध्यापक या कला और शिल्प अध्यापक या योग अध्यापक पद हेतु:- <br> आवश्यक: <br> (1) भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त स्कूल या बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक या इसके समतुल्य। <br> (2) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से संगीत या ड्राइंग या कलाशिक्षा या शिल्प शिक्षा या योग में डिप्लोमा । <br> वांछ्बनीय: <br> हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अध्यापन या प्रशिक्षण में प्रवीणता और स्कूल का माध्यम। <br> टिप्पणी: <br> सक्षम प्राधिकारी के विवेक से अभिलिखित कारणों, अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में, अर्हताओं में छूट दी जा सकती है। |  |
| :---: | :---: | :---: |


| (10) | (11) | (12) |  | (13) |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| सीधी भर्ती | लागू नहीं | समूह 'ख' विभागीय पुप्टिकरण समिति <br> 1. अपर महाप्रबंधक <br> 2. संयुक्त महाप्रबंधक या उप-महाप्रबंधक <br> 3. उप-महा प्रबंधक या कर्मशाला प्रबंधक | - अध्यक्ष, <br> -सदस्य, <br> -सदस्य | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है। |

[फा. सं. 41(2)/2011-रक्षा(स्था./एनजी)]
अम्लान दास, अवर सचिव

New Delhi, the 6th December, 2017
S.R.O. 98.-In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Indian Ordnance Factories Organisation (Group ' $B$ ' and ' $C$ ' posts of School Establishment) Recruitment Amendment Rules, 2006, insofar as they relate to certain Group ' B ' and ' C ' Posts specified in the Schedule, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment for Group 'B' Posts in the School Establishment of Ordnance Factories Organisation in Ministry of Defence, namely :-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Indian Ordnance Factories Organisation (Group 'B' Posts of School Establishment) Recruitment Rules, 2017.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Application. - These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
3. Number of posts, classification and level in the pay matrix .- The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
4. Method of appointment, age-limit and other qualifications etc. .- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule annexed thereto.

## 5. Disqualification. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;
shall be eligible for appointment to any of the said posts:
Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.
6. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commision, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.
7. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of the Post | Number of Post | Classification | $\begin{array}{l}\text { Level in the Pay } \\ \text { Matrix }\end{array}$ | $\begin{array}{l}\text { Whether } \\ \text { selection } \\ \text { post } \\ \text { non- } \\ \text { or }\end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :--- |
| selection |  |  |  |  |
| post |  |  |  |  |$]$


| Age-limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any. |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| (6) | (7) | (8) | (9) |
| Not exceeding 30 years <br> Note: 1 (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). <br> Note: 2 <br> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub- <br> Division of Chamba district of Himachal <br> Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.) | For the post of Trained Graduate Teacher:- <br> Essential : <br> (a) Graduation in the required subject(s) from a recognised university and two year Diploma in Elementary Education(by whatever name known) from a recognised university or institution recognised by the National Council for Teacher Education(NCTE) in accordance with the NCTE (Recognition Norms and procedure) regulations issued from time to time in this regard. <br> Or <br> Graduation in the required subject(s) from a recognised university with at least forty five percent ( $45 \%$ ) marks and one year Bachelor in Education(B.Ed.), from a recognised university or institution recognised by the National Council for Teacher Education (NCTE) in accordance with the NCTE (Recognition Norms and procedure) regulations issued from time to time in this regard. Or <br> Senior Secondary (or its equivalent) in the required subject(s) from a recognised board or university with at least fifty percent (50\%) marks and four year Bachelor in Elementary Education (B.El.Ed.) from a recognised university or institution recognised by the National Council for Teacher Education (NCTE) in accordance with the NCTE (Recognition Norms and procedure) regulations issued from time to time in this regard Or <br> Senior Secondary (or its equivalent) in the required subject(s) from a recognised board or university with at least fifty percent (50\%) marks and four year Bachelor of Arts or Bachelor of Science with Education (B.A./B.Sc.Ed) or Bachelor of Arts with Education or Bachelor of Science with Education (B.A.Ed./B.Sc.Ed) in the required subject(s) from a recognised university or institution recognised by the National Council for Teacher Education (NCTE) in accordance with the NCTE (Recognition Norms and procedure) regulations issued from time to time in this regard. | Age : No Qualification : Yes | Two years for direct recruits and promotees from Group 'C'. |




| Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods. |
| :---: |
| (10) |
| (i) $50 \%$ by direct recruitment and $50 \%$ by promotion for all posts except Physical Education Teacher |
| (ii) The post of Physical Education Teacher to be filled $100 \%$ by promotion. |

In case of recruitment by promotion, deputation or absorption, grades from which promotion, deputation or absorption to be made.

## Promotion:

(a) Teacher (Primary) or Music Teacher or Drawing Master or Arts and Craft Teacher in level-6 in the pay matrix having qualification prescribed for Direct Recruits in column 7 and minimum five years regular service for Promotion to the post of Trained Graduate Teacher (TGT) or Domestic or Home Science or Work Education Teacher or Drawing or Art and Craft Instructor (High School).
(b) Laboratory Assistant in level-4 in the pay matrix having qualification prescribed for Direct Recruits in column 7 and minimum fifteen years regular service for promotion to the post of Trained Graduate Teacher (TGT).
(c) Promotion from Yoga or Games Teacher in level-6 in the pay matrix having qualification prescribed for Direct Recruits in column 7 and minimum five years regular service for Promotion to the post of Physical Education Teacher.
Note 1: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualification service in the respective grade or post, while maintaining the inter se seniority in the respective grade or post.
Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

| If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition. | Circumstances under which Union Public <br> Service Commission is to be consulted in <br> making recruitment. |  |
| :--- | :--- | :--- |
| (12) |  |  |
| Group 'B' Departmental Promotion Committee : | Consultation with UPSC not necessary |  |
| 1. Deputy Director General, Ordnance Factory Board | - Chairman, |  |
| 2. Director/Joint Director, Ordnance Factory Board | - Member |  |
| 3. Director/Joint Director, Ordnance Factory Board | - Member |  |
| Group 'B' Departmental Confirmation Committee : |  |  |
| 1. Deputy Director General, Ordnance Factory Board | -Chairman, |  |
| 2. Director/Joint Director, Ordnance Factory Board | - Member |  |
| 3. Director/Joint Director, Ordnance Factory Board | - Member |  |


| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2. Head Master (Primary). | 17* <br> (2017) <br> * Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, NonMinisterial. | Level-7 in Pay Matrix Rs.44900-142400/- | Selection. |


| (6) | (7) | (8) | (9) |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Not applicable | Not applicable | Not applicable | Nil for Teacher |
|  |  |  | (Primary)/Music |
|  |  |  | Teacher/Drawing <br> Master/Arts and Craft |
|  |  |  | Teacher/Yoga and Games |
|  |  |  | Teacher. <br> Two years for Laboratory |
|  |  |  | Assistant. |


| (10) | (11) |
| :---: | :--- |
| By promotion | Promotion: <br> (a) Teacher (Primary) or Music Teacher or Drawing Master or Arts and Craft <br> Teacher or Yoga or Games Teacher in level-6 in the pay matrix possessing the <br> educational Qualification of Graduation and Bachelor of Education or Four <br> years integrated B.Sc., B.Ed /B.A., B.Ed. and having minimum five years of <br> regular service. |
|  | (b) Laboratory Assistant in level-4 in the pay matrix possessing the educational |
| Qualification of Graduation and Bachelor of Education or Four years integrated |  |
| B.Sc., B.Ed/B.A., B.Ed. and having minimum fifteen years regular service. |  |
|  | Note 1: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the <br> date of completion by the officers of the prescribed qualification service in the <br> respective grade/post, while maintaining the inter se seniority in the respective <br> grade/post. |
|  | Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service <br> are being considered for promotion, their seniors would also be considered <br> provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by |
| more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever |  |
| is less, and have successfully completed their probation period for promotion to |  |
| the next higher grade along with their juniors who have already completed such |  |
| qualifying or eligibility service. |  |


| (12) | (13) |  |
| :--- | :--- | :---: |
| Group 'B' Departmental Promotion Committee: |  | Consultation with UPSC not necessary |
| 1. Deputy Director General, Ordnance Factory Board | - Chairman, |  |
| 2. Director/Joint Director, Ordnance Factory Board | - Member |  |
| 3. Director/Joint Director, Ordnance Factory Board | - Member |  |
| Group 'B' Departmental Confirmation Committee: |  |  |
| 1. Deputy Director General, Ordnance Factory Board | - Chairman, |  |
| 2. Director/Joint Director, Ordnance Factory Board | - Member |  |
| 3. Director/Joint Director, Ordnance Factory Board | - Member |  |


| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :---: |
| 3. Teacher (Primary) | $223^{*}$ | General Central | Level-6 in Pay | Not applicable. |
| or Music Teacher or | (2017) | Service, Group 'B' | Matrix Rs.35400- |  |
| Drawing Master or | * Subject to variation | Non-Gazetted, Non- | $112400 /-$ |  |
| Arts and Craft | dependent on | Ministerial. |  |  |
| Teacher or Yoga or | workload. |  |  |  |
| Games Teacher. |  |  |  |  |


| (6) |
| :--- |
| Not exceeding thirty years |
| Note: $\mathbf{1}$ |
| (Relaxable for Government |
| servants up to five years in |
| accordance with the instructions |
| or orders issued by the Central |
| Government). |

## Note: 2

The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.)

For the post of Teacher (Primary):-

## Essential :

(1) Senior Secondary (or its equivalent) with at least $50 \%$ marks and two years Diploma in Elementary Education (by whatever name known)
Or
Senior Secondary (or its equivalent) with at least 45\% marks and two years Diploma in Elementary Education (by whatever name known), in accordance with the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure), Regulations, 2002.
Or
Senior Secondary (or its equivalent) with at least $50 \%$ marks and four years Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed.)
Or
Graduation and two years Diploma in Elementary Education (by whatever name known)

Note 1: Senior Secondary (or its equivalent) shall be from a recognised Board and Graduation shall be from a recognised university.

Note 2: A diploma or degree course in teacher education recognised by the National Council for Teacher Education(NCTE) only shall be considered.

Note 3: Relaxation up to $5 \%$ in the qualifying marks shall be allowed to candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Physically Handicapped.
And
(2) Pass in the Teacher Eligibility Test (TET), to be conducted by the appropriate Government in accordance with the Guidelines framed by the National Council for Teacher Education for the purpose.

## Desirable :

Competent to teach both in English or Hindi and medium of instruction of the School.
For the post of Games Teacher:-

## Essential :

(a) Senior Secondary ( Class XII or its equivalent) with at least $50 \%$ marks from

| (8) | (9) |
| :---: | :---: |
| Not applicable. | Two years. |
| . |  |


|  | recognised Board <br> Or <br> Candidates who have passed the Senior Secondary examination $(10+2)$ or its equivalent and have participated in sports/games at school/college/district level in accordance with the and National Council for Teacher Education(Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2007 notified on 10.12.2007 <br> Or <br> Senior Secondary(Class XII or its equivalent) with at least $45 \%$ marks from recognized board(in accordance with the National Council for Teacher Education(Form of application for recognition, the time limit of submission of application, determination of norms and standards for recognition of teacher education programmes and permission to start new course or training) Regulations, 2002 notified on 13.11.2002 <br> And <br> (b) Certificate/Diploma in Physical Education of duration not less than two years (or its equivalent) from any National Council for Teacher Education recognized institution. <br> For the post of Music Teacher or Drawing Master or Arts and Craft Teacher or Yoga Teacher :- <br> Essential : <br> (1) Higher Secondary or equivalent from a School or Board recognised by Government of India or State Government. <br> (2) Diploma in Music or Drawing or Art Education or Craft Education or Yoga as the case may be shall be from a recognised institution. <br> Desirable : <br> Competent to teach or coach both in Hindi or English and medium of instruction of the School. <br> Note: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. |  |
| :---: | :---: | :---: |


| (10) | (11) | (12) |  | (13) |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| By direct recruitment. | Not applicable. | Group 'B' Departmental Confirmation Committee: |  | Consultation with |
|  |  | 1. Additional General Manager | - Chairman | UPSC not necessary |
|  |  | 2. Joint General Manager or Deputy General Manager | - Member |  |
|  |  | 3. Deputy General Manager or Works Manager | - Member |  |

[F.No. 41(2)/2011-D(Estt./NG)]

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2017
का.नि.आा. 99.- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय आर्डिनेंस कारखाना संगठन (विद्यालय स्थापना के समूह "ख",समूह "ग" पद) भर्ती नियम 2006 को, जहां तक उसका संबंध अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रयोगशाला सहायक के समूह "ग" पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय में आर्डिनेंस कारखाना संगठन के विद्यालय स्थापना में प्रयोगशाला सहायक के समूह "ग" पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षित्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का नाम भारतीय आयुध कारखाना संगठन (स्कूल स्थापना के प्रयोगशाला सहायक के समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 2017 है।
(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।
2. लागू होना:- ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध सूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पद पर लागू होंगे।
3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों के साथ उपाबद्ध सूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदिः- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वह होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
5. अनर्हताः- वह व्यक्ति :-
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
(ख) जिसने अपनी पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :
परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार के लिए लागू वैयक्तिक कानून के अधीन अनुज्ञेय है एवं ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।
6. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की राय होगी कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह इसके कारणों को लेखबद्ध करते हुए इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी भी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों के लिए आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
7. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और ऐसी अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालपाएगी जिनका उपबंध केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेश के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए किया जाना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम | पद की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन पद अथवा अचयन पद |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| प्रयोगशाला सहायक | $17^{*}(2017)$ <br> * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख’ अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन मैट्रिक्स 25500-81100/-रुपए में स्तर -4 | लागू नहीं |

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2017
का.नि.आा. 99.- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय आर्डिनेंस कारखाना संगठन (विद्यालय स्थापना के समूह "ख",समूह "ग" पद) भर्ती नियम 2006 को, जहां तक उसका संबंध अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रयोगशाला सहायक के समूह "ग" पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय में आर्डिनेंस कारखाना संगठन के विद्यालय स्थापना में प्रयोगशाला सहायक के समूह "ग" पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षित्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का नाम भारतीय आयुध कारखाना संगठन (स्कूल स्थापना के प्रयोगशाला सहायक के समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 2017 है।
(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।
2. लागू होना:- ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध सूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पद पर लागू होंगे।
3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों के साथ उपाबद्ध सूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदिः- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वह होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

## 5. अनर्हता:- वह व्यक्ति :-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
(ख) जिसने अपनी पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :
परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार के लिए लागू वैयक्तिक कानून के अधीन अनुजेय है एवं ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।
6. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की राय होगी कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह इसके कारणों को लेखबद्ध करते हुए इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी भी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों के लिए आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
7. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और ऐसी अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालपाएगी जिनका उपबंध केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेश के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए किया जाना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम | पद की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन पद अथवा अचयन पद |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| प्रयोगशाला सहायक | $17^{*}(2017)$ <br> * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ‘ख’ अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन मैट्रिक्स 25500-81100/-रुपए में स्तर -4 | लागू नहीं |


| सीधी भर्ती हेतु आयु-सीमा | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं |
| :---: | :---: | :---: |
| (6) | (7) | (8) |
| 18 और 25 वर्ष के बीच। <br> (केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशें अथवा आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक की छूट है)। <br> टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। | आवश्यक: भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी स्कूल अथवा बोर्ड से विज्ञान में उच्चतर माध्यमिक या समतुल्य। <br> वांछनीय (1) किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय से प्रयोगशाला सहायक के रूप में कम-से-कम दो वर्षों का अर्हता पश्यात् नियमित आधार पर (पूर्णकालिक) अनुभव। <br> (2) हिंदी अथवा अंग्रेजी दोनों और विद्यालय के अनुदेश माध्यम से पढ़ाने में सक्षम। | लागू नहीं होता |


| परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा एवं विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत | प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा |
| :---: | :---: | :---: |
| (9) | (10) | (11) |
| 2 वर्ष | शतप्रतिशत प्रोन्नति द्रारा | लागू नहीं |


$|$| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा <br> आयोग से परामर्श किया जाएगा |  |  |
| :--- | :--- | :---: | :---: |
| (12) |  |  | (13) |
| विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिनमें | लागू नहीं |  |  |
| निम्नलिखित होंगे: |  |  |  |
| (1) अपर महाप्रबंधक | - अध्यक्ष |  |  |


| (2) संयुक्त महाप्रबंधक अथवा उप महाग्रबंधक | - सदस्य |
| :--- | :--- |

(3) उप महाप्रबंधक अथवा कार्य प्रबंधक
[फा. सं. 41(2)/2011/डी (स्था./एन.जी.)]
अम्लान दास, अवर सचिव

New Delhi, the 6th December, 2017
S.R.O. 99.-In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Indian Ordnance Factories Organisation (Group ' B ' and ' C ' posts of School Establishment) Recruitment Amendment Rules, 2006, in so far as they relate to Group 'C' Post of Laboratory Assistant specified in the Schedule, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group ' C ' Post of Laboratory Assistant in the School Establishment of Ordnance Factories Organisation in the Ministry of Defence, namely :-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Indian Ordnance Factories Organisation (Laboratory Assistant, Group 'C' Post of School Establishment) Recruitment Rules, 2017.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Application. - These rules shall apply to the post specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
3. Number of posts, classification and level in the pay matrix .- The number of the said post, their classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
4. Method of appointment, age-limit and other qualifications, etc. .- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule annexed thereto.
5. Disqualification. - No person, -
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to any of the said posts:
Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.
6. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons or posts.
7. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of the Post. | Number of Post. | Classification. | Level in the Pay Matrix | Whether selection post or non-selection post. |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Laboratory Assistant. | $\begin{aligned} & \text { 17* } \\ & (2017) \\ & \text { * Subject to variation } \\ & \text { dependent on } \\ & \text { workload. } \end{aligned}$ | General Central <br> Service, Group 'C' <br> Non-Gazetted, Non- <br> Ministerial. | Level-4 in Pay Matrix Rs. 25500-81100/- | Not applicable. |


| Age-limit for direct recruits. | Educational and other qualifications <br> required for direct recruits. | Whether age and <br> educational qualifications <br> prescribed for direct <br> recruits will apply in the <br> case of promotees. | Period of <br> probation, <br> if any. |  |  |  |
| :---: | :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| (6) | (7) |  |  |  | Not applicable. | Two years. |
| Between 18 and 25 years. <br> (Relaxable for departmental <br> candidates up to forty years in | Essential : <br> (1) Higher Secondary in Science or <br> equivalent from a School or Board |  |  |  |  |  |

accordance with the
instructions or orders issued by the Central Government).
Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.)
recognised by Government of India or a State Government.

## Desirable :

(1) Post qualification experience of (full time) at least Two years as Laboratory Assistant from a recognised school in regular capacity.
(2) Competent to teach both in Hindi or English and medium of instruction of the School.

| Method recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation | In case of <br> recruitment by <br> promotion,  <br> deputation or <br> absorption, grades <br> from which  <br> promotion,  <br> deputation or <br> absorption to <br> made.   | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition. | Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| (10) | (11) | (12) | (13) |
| $100 \%$ by direct recruitment | Not applicable | Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :- <br> 1. Additional General Manager <br> -Chairman, <br> 2. Joint General Manager or Deputy General Manager <br> 3. Deputy General Mmhnjanager or Works Manager <br> -Member. | Not applicable |

[F.No. 41(2)/2011-D(Estt./NG)]
AMLAN DAS, Under Secy.

